5/ 697/2016

2673
30-5-2016

संख्या–1009/33–3–2016–100(21)/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5/1230/2016–5/53/2016 दिनांक 11.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के अनुसार मूल्यांकन करते हुए अन्त्येष्टि स्थलों की प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख के सापेक्ष रू0 24.36 लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति निम्नलिखित निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी है:–

1– प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना स्थल के अनुसार, यदि आवश्यक हो, नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4– मुख्य अभियन्ता (भवन),लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश के पत्रांक–3487 जी/71(1)बी.पी.–विंग/2014 दिनांक 10.11.2014 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु प्रदान किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(1)

636
उप निदेशक (पं0)

निदेशक
27/5/16

श्री सत्य प्रकाश
31/5/2016

(एस0 एन0 ...)
उपनिदेशक (पंचायत)

6— प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

अतः संशोधित लागत का संलग्नक संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आधार पर अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु सभी संबंधित को निर्देश निर्गत करनें का कष्ट करें, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति उपयोगार्थ)
मानकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव/आगणन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन

(प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख)

कार्यदायी संस्था–पंचायती राज विभाग

मूल्यांकन टिप्पणी

1.0–प्रायोजना प्रस्ताव

1.1– पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।

1.2– प्रश्नगत प्रायोजना का मानकीकरण सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02–12–2014 (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–1) में प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 15.14 लाख के सापेक्ष रू0 14.87 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया था। पुनः प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 11–8–2015 में पर्यावरणीय किलयरेन्स हेतु प्रस्तुत किया गया था। (बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–2) समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 02–12–2014 में प्रायोजना के अनुमोदन के समय दिये गये निर्देश संख्या–2 में संशोधन करते हुए यह अपेक्षा की गई कि स्थल की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हो, तो प्रशासकीय विभाग नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेंगे। प्रायोजना हेतु शेष शर्ते यथावत् रहेगी, निर्देश दिये गये थे। प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मानकीकृत लागत में लकड़ी स्टोर व अंत्येष्टि स्थल पर आन्तरिक इण्टर लांकिंग की लागत सम्मिलित नहीं थी, जिसे सम्मिलित करते हुए संशोधित मानकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्कम में प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

1.3– संदर्भित प्रस्ताव/आगणन के मानचित्र एवं कुर्सी क्षेत्रफल मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग लखनऊ एवं तदनुसार गठित प्रस्ताव/आगणन मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0–विंग/2014 दिनॉक 10–11–2014 (संलग्नक–3) उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लकड़ी के स्टोर एवं अत्येष्टि स्थल पर इण्टर लांकिंग टाइल्स का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से कराये जाने का निर्देश दिये गये है।

1.4– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन उप, निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है, निदेशक, पंचायतराज, उ0प्र0 द्वारा संस्तुत है तथा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

2.0– आवश्यकता एवं औचित्य

प्रायोजना प्रतिवेदन के प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तेष्टि स्थल के विकसितीकरण के लिए प्रस्ताव का गठन किया गया है।

3.0– प्रायोजना प्राविधान

क0सं0	कार्यमद	इकाई	मानकीकृत स्वीकृत मात्रा	मानकीकृत हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	158.79
2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	1.00
3	हार्टीक्चर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	0
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	0
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	व0मी0	0	200.00
6	वुड स्टोर	व0मी0	0	54.00
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स	व0मी0	0	693.12

4.0– दरें :–

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की दिनॉक 15–09–2015 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण किया गया है।

5.0– लागत विश्लेषण:–

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:–

(लागत रू0 लाख में)

क0 स0	मद विवरण	इकाई	पूर्व मानकीकृत लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत प्रस्तावित लागत			पुनरीक्षित मानकीकृत आकलित लागत		
			मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत	मात्रा	दर	लागत
A	सिविल कार्य		वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर			वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर		
1	कुल क्षेत्रफल	व0मी0	158.79	7700.00	12.23	158.79	8000.00	12.70	158.79	8000.00	12.70

2	हैण्ड पम्प एवं ड्रेनेज	न0	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00	1.00	100000.00	1.00
3	हार्टीकचर एवं प्लान्टेशन	जाब	1.00	10000.00	0.10			0.00			0.00
4	शवदाह का प्लेट फार्म	न0	2.00	10000.00	0.20			0.00			0.00
5	रोड कनेक्टविटी इण्टर लांकिंग टाइल्स के साथ	मी0				200.00		10.30	200.00	विवरणानुसार	9.95
6	वुड स्टोर					54.00	8000.00	4.32	ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधन से यह कार्य कराया जायेगा।		
7	आन्तरिक इण्टर लांकिंग टाइल्स					693.12	869.36	6.03			
	योग				13.52			34.35			23.65
8	आकस्मिक व्यय	लाख रू0	13.52	2%	0.27			0.00	23.65	2%	0.47
	योग				13.79			34.35			24.12
9	5 प्रतिशत की कमी	लाख रू0	13.79	-5%	-0.69			0.00			0.00
	योग				13.10			34.35			24.12
10	सेन्टेज चार्जेज	लाख रू0	13.10	12.50%	1.64			0.00			0.00
11	लेबर सैस	लाख रू0	13.10	1.0%	0.13			0.00	24.12	1%	0.24
	प्रायोजना की कुल लागत				14.87			34.35			24.36

6.0–प्रभाग की टिप्पणी

1– पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के मानकीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 34.35 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित मानकीकृत लागत रू0 34.35 लाख सापेक्ष लागत रू0 24.36 लाख आंकलित की गई है।

– प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

4– मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक 3487जी/71(1) बी0पी0–विंग/2014 दिनॉक 10–11–2014 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

6– प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

7– प्रशासकीय विभाग द्वारा मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जाय।

++++++++++++++++++++